

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
विनायकाखल मार्डल, मीरज गुप्त

तेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र -2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार, नई दिल्ली ।

पत्रांक: नट०-१/

/2009-2010

दिनांक: ११.७.२०१६

विषय:- जेराजी देवी पब्लिक स्कूल बी.टी.रोड जगीगंज सतराविदास नगर भद्रोही में
सी०बी००८८०५० बोर्ड -ई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया
जाना ।


-----: ०: -----

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है
कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं०: १९१६/१५-७-०९-१/२९९/२००७ दिनांक: १५.०७.
२००९ द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी०बी००८८०५० तथा आई०स०५०
सी०बी००८८०५० बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र द्वा-
रा सरकार के स्थान पर संबंधित मण्डल के मण्डलाधुक्त की अधिक्षता और गठित समिति द्वारा
किये जाने का निर्देश दिया गया है। ०५.०० शासन के उक्त आदेश के अनुसार जनपद मध्ये
में स्थित संस्था, जेराजी देवी पब्लिक स्कूल बी०८८०८०८०८०८०५०, जगीगंज के आवेदन पत्र पर
मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा विवार किया गया। विवालय को सी०बी००८८०५०
नई दिल्ली में सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने और समिति कोनिम्न-
लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

1. विवालय की पर्याप्तताओंसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
2. विवालय की प्रबन्ध समिति और शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होना।
3. विवालय में कम-से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसृद्धि जाति/जनजाति के ऐवाची
वर्चवाओं के तिर सुरक्षित रहेंगे और उनसे ०५.०० माध्यमिक शिक्षा परिषद /एकल
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निष्पारित
शुल्क से जटिल शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को माँग नहीं हो जाएगी और यदि
पूर्व ऐविलालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मानकर्ता प्राप्त होता विवालय की स-
सम्बद्धता सेन्टल बोर्ड भ्राम सेन्टल एजुकेशन नई दिल्ली १०८८०८०८०५० सिल फार दि इण्डियन
स्कूल सटीफिकेट एवजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है जो उस परीक्षा परिषद
से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ०५.०० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त
मानकर्ता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
5. संस्था के शिक्षिक सर्वे शिक्षणितर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण
संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य केन्द्रमानों तथा अन्य भूमि से केन्द्रमान
तथा अन्य भूमि नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की तेवा गर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त ज्ञासकीय उच्च
तर माध्यमिक विवालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य तेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध
कराये जायेंगे।

..... 2/


Principal

Jayraji Devi Public School
Langiganj, Bhadohi


Manager
Jayraji Devi Public School
Langiganj, S.R.N. Bhadohi

७. राज्य सरकार द्वारा समय -समय पर जो भी आवेदन निर्गत किये जाएंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
८. विधालय का ईकाई नियमित पौजिकाओं में रखा जायेगा ।
९. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के लिए कोई परिवर्तन/संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुक या विभिन्नता बरती जाती है, तो उक्त प्रबलत अनापन्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय


३५५८८
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विद्यालय मण्डल, मीर्जापुर

पृष्ठा: ३०९७ - ३११३ / २००९-२०१० तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सद्वार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्ति ।

१. संचिव, मार्यांगिक शिक्षा, उ०५० शासन लघनम् ।
२. जिक्षा निदेशक ईमार्ट उ०५० लघनम् ।
३. आयुक्त, विद्यालय मण्डल, मीर्जापुर ।
४. जिला विधालय निरीक्षक स०८०८०, भद्राही ।
५. निरीक्षक, आगरा भारतीय विधालय, उ०५० लघनम् ।
६. प्रबन्धक, जरायी देवी एवं लक्ष्मी लक्ष्मी जीवीगंड, स०८०८०, भद्राही ।
७. गार्ड फाइल ।

३५५८८
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विद्यालय मण्डल, मीर्जापुर


Principal
Jayraji Devi Public School
Langiganj, Bhadohi


Manager
Jayraji Devi Public School
Langiganj, S.R.N. Bhadohi